...की जाती है,

के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है,
प्रार्थीगण जवाब हेतु दि 12.3.22 को
पेश हो।

12.3.22 प्रार्थी शाहीन ली के अदालत में पेश हुई।
वकील वादी उप.। प्रति क्र 2 पेशीकार
हाजिर उप.। प्रति क्र 2 ने वादस्वीकार
योग्य होने से स्वीकार किये जाने पर सहमति
व्यक्त की। बयान हलफनामा प्रस्तुत किये गई।
प्रार्थी पर उपलब्ध रिकॉर्ड, दस्तावेजों
के आधार पर वाद कार्यवाही स्वीकार
किया जाना उचित प्रतीत होता है।
अतः वाद कार्यवाही स्वीकार किया
जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया

वाद स्वीकार
फैसला है अतः
स्वीकार है
TDR भांगोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:27:17 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 8/2022 तारीख दायरा:– 20.01.2022

उनवान

1. नरेश कुमार गौतम पुत्र श्री दिनेश कुमार गौतम जाति ब्राह्मण।
2. विष्णु कुमार गौतम पुत्र श्री दिनेश कुमार गौतम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। –वादीगण

बनाम

1. मदनलाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम सांगोद।
2. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। –प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955</u>

उपस्थित :–

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

–– निर्णय ––

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खसरा नंबर 1291 रकबा 0.17 हैक्टर आराजी वाके ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा [illegible] सांगोद जिला कोटा में स्थित है जिसमें प्रतिवादी कं. 1 के नाम 7/90 हिस्सा [illegible]कार्ड है। प्रतिवादी कं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:27:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद [illegible]

1 द्वारा वादग्रस्त आराजी में दर्ज स्वयं के हिस्सा 7/90 में से 4/13 हिस्सा अर्थात् कुल आराजी का 14/585 वां हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्रमांक 201903303101020 दिनांक 23.07.2019 से केता श्रीमती रूबीना बानो पत्नी श्री अख्तर हुसैन जाति मुसलमान निवासी ग्राम सांगोद को विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया था जिसके उपरान्त केता श्रीमती रूबीना बानो द्वारा उक्त 14/585 हिस्सा आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्रमांक 202103303101383 दिनांक 23.12.2021 वादीगण को विक्रय कर मौके पर कब्जा सम्भला दिया था। गत सप्ताह वादीगण द्वारा पटवारी हलका से मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय विलेख राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया तो पटवारी द्वारा कहा कि प्रतिवादी कं. 1 द्वारा जो बेनामा दिनांक 23.07.2019 को तहरीर किया है, उसमें विकेता के हिस्से के साथ-साथ विक्रीत सम्पत्ति का विशिष्ट नाप देने से बेनामें का इन्तकाल ऑनलाईन जनरेट नहीं हो पा रहा है, लिहाजा न्यायालय में जाकर कार्यवाही करें तो माननीय न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। रजिस्टर्ड बेनामा वादीगण के पक्ष में निष्पादित होने से वादीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1291 रकबा 0.17 हैक्टर के 14/585 हिस्सा के कानूनन खातेदार काश्तकार हो गये हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड में क्रयशुदा हिस्सा आराजी पर वादीगण का नाम अंकित नहीं हो पाने से वादीगण को कृषि विकास कार्य करने व सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड रहा है। लिहाजा न्यायहित में क्रयशुदा हिस्सा आराजी को वादीगण के खाते दर्ज की जानी अत्यन्त आवश्यक है। अतः माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 1291 रकबा 0.17 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा 7/90 में से 4/13 हिस्सा अर्थात कुल आराजी का 14/585 वां हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:27:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

वादीगण के खाते दर्ज किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कं. 1 बावजूद तामील अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 2 ने आदेशिका पर वाद स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजों के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार करना उचित समझती हूँ।

अतः दावा वादीगण स्वीकार कर माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 1291 रकबा 0.17 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा 7/90 में से 4/13 हिस्सा अर्थात् कुल आराजी का 14/585 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार 14/585 हिस्सा वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:27:17 IST
Reason: SelfAttested

(अंजनी सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद